Dr. Shyam Shanker
Associate Professor
Deptt. of Political Science
Raja Singh College, Siwan

PDF Notes for BA Hons. Part I

मानवाधिकार आयोग

मानव अधिकार का तात्पर्य वैसे अधिकार से है जो मनुष्य को एक मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक सदस्य के रूप में प्राप्त होना चाहिए। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से दो बातें आती है प्रथम, ये वे अधिकार है जो व्यक्ति को एक मानव होने के रूप में उपलब्ध होने चाहिए। इसे नैतिक अधिकार माना जा सकता है जो मानवीय भावना से उत्पन्न होता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को कायम रखना होता है। दूसरे, कानूनी रूप में इसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विधि से है। कई समाजों तथा राज्यों में इन अधिकारों की उपेक्षा होती रही है। इसलिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इन अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास किया जाय। इस दिशा में सबसे पहले इसकी शुरुआत मैग्नाकार्टा (2015) तो बाद में Bill of rights (1689) के रूप में आगे बढ़ा। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जर्मनी में यहूदियों को जिस तरह प्रताड़ित किया गया उसी पृष्ठभूमि में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को एक प्रारूप को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसे मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा Universal Declaration of human rights के नाम से जाना जाता है।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें कही गई है —

* संसार के सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान है, उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास तथा अपने

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(*) संसार के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की प्राप्ति में स्थान, देश, रंग, वर्ण, जाति, आयु, स्थिति, भाषा, धर्म या राजनीतिक विश्वासों के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाना चाहिए। दुनिया के सभी मनुष्य को चाहे वह स्वतंत्र हो या किसी के अधीन हो उसे बराबर अधिकार मिलना चाहिए।

* प्रत्येक मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है।

(*) किसी को भी गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। गुलामी की प्रथा को पूर्णरूपेण नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

(*) संसार के किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय, क्रूर या असभ्य व्यवहार नहीं किया जा सकता।

(*) कानून की नजर में सभी बराबर होंगे, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।

(*) उचित प्रक्रिया के तहत ही किसी को गिरफ्तार किया जायेगा या हिरासत में रखा जायेगा।

(*) अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को गलत साबित करने का अधिकार सभी को होगा। तथा प्रत्येक का मुकदमा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय में सुना जायेगा।

उपरोक्त मानवअधिकारों की रक्षा वैश्विक स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक सामाजिक परिषद ने 1947 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया जिसके सदस्यों की सं० 18 ~~सदस्य~~ निर्धारित की गई। इस आयोग ने 44 सूत्री मानवअधिकारों की घोषणा तैयार की विचार विमर्श के पश्चात इसकी सं० 30 कर दी गई। मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पास किया जिससे 47 सदस्यों वाली मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यों वाली मानवाधिकार आयोग का रूप ले लिया। इसे जून 2006 में फिर से समाप्त कर दिया गया तथा फिर से अब मानवाधिकार परिषद के रूप में महासभा के अधीन कार्य करती है।

भारत में भी 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner